

शासन में सत्यनिष्ठा

शासन में सत्यनिष्ठा

शासन में सत्यनिष्ठा लोक सेवा में ईमानदारी, निष्ठा,
जवाबदेहिता और पारदर्शिता जैसे मज़बूत नैतिक सिद्धांतों का गुण है।

उद्देश्य

- ⇒ शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना
- ⇒ लोक सेवाओं में ईमानदारी बनाए रखना
- ⇒ शासकीय प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना
- ⇒ कदाचार और संभावित भ्रष्टाचार से बचना

ईमानदारी के सिद्धांत

- ⇒ **ईमानदारी:** विचारों, वाणी और कार्यों में सत्यनिष्ठ तथा ईमानदार होना।
- ⇒ **निष्ठा:** नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, भ्रष्ट गुणों का स्वभाव, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्ठा
- ⇒ **निपक्षक्षता:** निर्णय वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होने चाहिये, न कि पक्षपात या पूर्वाग्रह पर।
- ⇒ **पारदर्शिता:** आम जनता को सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थाओं के कामकाज के बारे में स्पष्टता
- ⇒ **जवाबदेहिता:** सार्वजनिक अधिकारियों को उनके आचरण के लिये जवाबदेह ठहराना और प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी बनाना।
- ⇒ **समावेशीपन:** समाज के विभिन्न वर्गों के साथ निष्पक्ष और बिना भेदभाव के व्यवहार करना
- ⇒ **गोपनीयता:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

कार्यान्वयन रणनीतियाँ

- ⇒ **आचार संहिता:** कर्मचारी की कार्रवाई और व्यवहार के लिये विशिष्ट नियमों को परिभाषित करने वाले सिद्धांत
- ⇒ **नीति संहिता:** ईमानदारी, काम के प्रति समर्पण और जनता के प्रति जवाबदेही जैसे मूल्य

चुनौतियाँ

- ⇒ शासन में भ्रष्टाचार, सरकारी संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम कर रहा है
- ⇒ गैर-पारदर्शिता जनता के बीच संघर्ष और निराशा को जन्म दे रही है
- ⇒ अस्पष्ट मूल्य प्रणाली सरकारी कार्यों की स्थिरता और पूर्वानुमान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है
- ⇒ जवाबदेही की कमी जनता के विश्वास और भरोसे को कम करती है

उठाए गए कदम

- ⇒ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- ⇒ केंद्रीय सतर्कता आयोग
- ⇒ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- ⇒ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005